

भारत सरकार
रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

सं. 2010/टेली/11(5)/1 पार्ट

नई दिल्ली, दिनांक: 05.01.2012

टेलीकॉम परिपत्र सं.01/2012


महाप्रबंधक/सभी भारतीय रेलें,
सभी उत्पादन इकाइयां, कोर/इलाहाबाद,
महानिदेशक/अ.अ.मा.सं. एवं रेलवे स्टाफ कॉलेज, आईजी/आरपीएसएफ,
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/कॉफमो, डीसीडब्ल्यू, आईआरपीएमयू तथा छपरा एवं रायबरेली की नई उत्पादन इकाइयां।
निदेशक/इरिसेट, इरिसेन, इरीन, इरिमी, आईआरआईटीएम,
अध्यक्ष, सभी रेल भर्ती बोर्ड,

विषय: उन कार्यालयों, जहां रेलनेट की कनेक्टिविटी उपलब्ध नहीं है, में ब्रॉडबैंड कनेक्शन के संबंध में।

संदर्भ: बोर्ड के दिनांक 13.10.2011 के पत्र सं.2010/टेली/11(5)/1 के तहत जारी टेलीकॉम परिपत्र सं.10/2011

उपर्युक्त के संबंध में, कुछ रेलों ने कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड से नीचे के उन उपयोगकर्ताओं को निम्नतम (बैंडविडथ)-अनलिमिटेड बैंडविडथ प्लान की सुविधा प्रदान करने का अनुरोध किया था, जिन्हें बोर्ड के दिनांक 07.12.2001 के पत्र सं.2001/सी एंड आईएस/कॉम्प/पॉलिसी के अनुसार उनके कार्यालय में ब्रॉडबैंड मुहैया कराए गए हैं। इस पर बोर्ड कार्यालय में विचार किया गया है और इसके लिए सहमति प्रदान की गई है।

2. इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जा रहा है
3. कृपया पावती दें।



(राकेश रंजन)

निदेशक/दूरसंचार

फोन: 011-23388504, 030-44613

फैक्स: 011-23304690, 030-44690


ई मेल: dtele@rb.railnet.gov.in

सं. 2010/टेली/11(5)/1 पार्ट

नई दिल्ली, दिनांक: 05.01.2012

प्रतिलिपि प्रेषित:

- i. वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी, सभी भारतीय रेलें।
- ii. भारत के उप नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक (रेलें), कमरा नं. 224, रेल भवन, नई दिल्ली (46 अतिरिक्त प्रतियों सहित)।


कृते वित्त आयुक्त/रेल